न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 115/2024

अनवान : –

1. सुनिल सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दीपसिंह पुत्र दूलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. सुमेरसिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. रमेश कंवर पुत्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. सरोज कंवर पुत्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/116 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.3280 है0 भूमि में से वादी के मृतक पिता का 1829/8328 हिस्सा एवं 2329/8328 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादरी के पिता एवं वादी के दादा के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता बिरजुसिंह उर्फ विजय सिंह का देहांत हो चुका है। बिरजुसिंह उर्फ विजय सिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि में से 500/8328 हिस्सा भूमि [illegible] समझोता में वादी को दे चुका है इस प्रकार से उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी[illegible] हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग एवं मुताबिक पारिवारिक समझोता के रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/116 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.3280 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में से मृतक बिरजुसिंह पुत्र दूलसिंह के नाम दर्ज 1829/8328 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 500/8328 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की तरफ से श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा मुन्सरी खाता संख्य 125/116, शपथ पत्र बाबत सदस्य, मृत्यु प्रमाण पत्र सन्तोष कंवर, मृत्यु प्रमाण पत्र विजय सिंह आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि में से 500/8328 हिस्सा भूमि पारिवारिक समझोता में वादी को दे चुका है इस प्रकार से उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग एवं मुताबिक पारिवारिक समझोता के रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 125/116 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.3280 है0 भूमि में से मृतक बिरजुसिंह पुत्र दूलसिंह के नाम दर्ज 1829/8328 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 500/8328 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/116 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.3280 है0 भूमि में से वादी के मृतक पिता बिरजुसिंह उर्फ विजय सिंह का 1829/8328 हिस्सा एवं 2329/8328 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि वादी के पिता बिरजुसहिं उर्फ विजय का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक बिरजुसिंह उर्फ विजयसिंह के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/116 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.3280 है0 भूमि में से 1829/8328 हिस्सा में मृतक बिरजुसिंह पुत्र दूलसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2329/8328 हिस्सा भूमि में से 500/8328 हिस्सा भूमि जो रहन मुक्त है वादी के नाम दर्ज किया जावे शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थन[illegible] रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक र[illegible] तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो[illegible] रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 115/2024

अनवान : –

1. सुनिल सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दीपसिंह पुत्र दूलसिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
2. सुमेरसिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
3. रमेश कंवर पुत्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
4. सरोज कंवर पुत्री विजय सिंह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 115 सन 2024 निर्णय दिनांक - 12/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 125/116 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.3280 है0 भूमि में से 1829/8328 हिस्सा में मृतक बिरजुसिंह पुत्र दूलसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2329/8328 हिस्सा भूमि में से 500/8328 हिस्सा भूमि जो रहन मुक्त है वादी के नाम दर्ज किया जावे शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:58 IST
Reason: SelfAttested